

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर-खंड I

तारीख : 8 अप्रैल, 2016

सेवा में,

1. असम
2. केरल
3. तमिलनाडु
4. पश्चिम बंगाल
5. पुडुचेरी

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी राज्य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन – वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वी वी पी ए टी) सहित ई वी एम के प्रयोग के बारे में।

महोदय,

मुझे आयोग के तारीख 21 मार्च, 2016 के निदेश सं. 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर – खंड I के साथ अग्रेषित आयोग के तारीख 21 मार्च, 2016 के समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्न अनुबंध के अनुसार) को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां ड्राप बाक्स सहित, एक प्रिंटर को मतों के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी वोटिंग मशीनों से संबद्ध किया जाएगा। आयोग की उक्त अधिसूचना के अनुबंध में, "कृष्णानगर" शब्द के लिए "कृष्णानगर उत्तर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपर्युक्त के बारे में शुद्धिपत्र इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। राज्य के राजपत्र के अति साधारण अंक में इसके प्रकाशन के लिए कार्रवाई की जाए और उसकी प्रति आयोग को भेजी जाए।

भवदीय,  
(एन टी. भूटिया)  
अवर सचिव

राज्यों के शासकीय राजपत्र में शीघ्र प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

---

सं.576/3/वीवीपीएटी/2016/एस डी आर-खंड ।

तारीख: 8 अप्रैल, 2016

---

**शुद्धिपत्र**

आयोग की तारीख 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर-खंड । के अनुबंध में, “कृष्णानगर” शब्द के लिए “कृष्णानगर उत्तर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

(अनुज जयपूरियार)  
सचिव